

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

01 राशि गोवंशीय पशु व 02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 जनपद स्तरीय टाप टेन अपराधी गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 राशि गोवंशीय पशु व 01-01अदद (कुल 02 अदद) अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- इसरार पुत्र सहीर 2- चनई उर्फ अफजल निवासी मो0 अली निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0- 262/20 धारा 3/5(अ)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा बरामद चाकू के सम्बन्ध मे क्रमशः मु0अ0सं0 263/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम इसरार पुत्र सहीर व मु0अ0सं0 264/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम चनई उर्फ अफजल पुत्र मो0 अली पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त इसरार पुत्र सहीर का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 1252/09 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 2- मु0अ0सं0 394/12 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 3- मु0अ0सं0 157/12 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 4- मु0अ0सं0 978/14 धारा 498(अ)/ 304(ब)/भा0द0वि0 व 3/4डीपी एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।
- 5- मु0अ0सं0 1558/14 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 6- मु0अ0सं0 387/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 7- मु0अ0सं0 853/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 8- मु0अ0सं0 33/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 9- मु0अ0सं0 1888/17 धारा 3/5(अ)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 10- मु0अ0सं0 94/18 धारा 3/5(अ)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 11- मु0अ0सं0 120/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 12- मु0अ0सं0 141/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 13- मु0अ0सं0 nil/19 धारा ¼ गुण्डा अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।

अभियुक्त चनई उर्फ अफजल का आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 175/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 2- मु0अ0सं0 261/2000 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।

- 3- मु0अ0सं0 524/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 4- मु0अ0सं0 33/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 5- मु0अ0सं0 394/16 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर
- 6- मु0अ0सं0 1442/17 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 7- मु0अ0सं0 94/18 धारा 3/5(अ)/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 8- मु0अ0सं0 221/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 9- मु0अ0सं0 232/18 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 10- मु0अ0सं0 258/18 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 11- मु0अ0सं0 401/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
- 12- मु0अ0सं0 403/19 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता निजामुद्दीन पुत्र मो0 रजा निवासी गौरिया टोला दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 328/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 246 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 33 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- मनोज पुत्र रामनाथ निवासी सेमराडाडी 2- नागर पुत्र मनोरथ निवासी सेमराडाडी 3- फोगड़ी पुत्र सुख्खु निवासी खाले का पुरवा चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को क्रमशः 10-10-10 ली0 (कुल 30 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 533/20, 534/20 व 535/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 12 अभियुक्तगण नाम पता 1- शनि कुमार पुत्र राजदेव प्रसाद निवासी बढैयामाफी थाना दुधारा 2- तिलकराज गौतम पुत्र महेश प्रसाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर 3- प्रेम कुमार पुत्र रामलगन निवासी बौडीहार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर 4- प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी बौडीहार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर 5- अर्जुन पुत्र बालकेश निवासी केसवापुर थाना रुधौली जनपद बस्ती 6- अजय कुमार पुत्र रामसुमेर निवासी कड़जा थाना दुधारा 7- रामभवन पुत्र गाजे निवासी पिपरा गोविन्द थाना दुधारा 8- संतोष कुमार पुत्र जोखन प्रसाद निवासी मूडाडीहा

थाना दुधारा 9- नेबूलाल पुत्र रामसेवक निवासी उसरा शहीद थाना दुधारा 10- राजकपूर पुत्र विकास मौर्या निवासी कोईलसा थाना दुधारा 11- अब्दुल कय्यूम पुत्र पुद्दन निवासी बेला थाना दुधारा 12- भगवान दास पुत्र जगलाल निवासी बेला थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को क्रमशः 06-06-10-10-10-07-10-07-15-15-10-15 ली० (कुल 121 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर क्रमशः मु०अ०सं० 250/20, 251/20, 252/20, 253/20, 254/20, 255/20, 256/20, 257/20, 258/20, 259/20, 260/20 व 261/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 16 अभियुक्तगण नाम पता 1- रामसवारे पुत्र रामजतन निवासी डुमरिया थाना दुधारा 2- रमेश पुत्र दीपक निवासी डुमरिया थाना दुधारा 3- योगेन्द्र प्रसाद पुत्र रामकेश निवासी कुसुरुखुर्द थाना बखिरा 4- राजाराम पुत्र पतिराम निवासी कुसुरुखुर्द थाना बखिरा 5- झिनक प्रसाद पुत्र हरिराम निवासी नन्दौर थाना बखिरा 6- खुर्शीद पुत्र अकबर अली निवासी सईबड़हरा थाना बखिरा 7- बैतू पुत्र तीरथ निवासी मेंहादवल थाना मेंहादवल 8- महेन्द्र यादव पुत्र स्व० अवधू निवासी साहूपार थाना बखिरा 9- इन्द्रेश कुमार यादव पुत्र पतिराज निवासी भवानीगाड़ा थाना बखिरा 10- दिनेश कुमार यादव पुत्र स्व० रामआशीष निवासी साहूपार थाना बखिरा 11- शरीफ पुत्र मो० रईस निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा 12 - स्वामी नाथ पुत्र बलिराज निवासी महादेवा थाना बखिरा 13- बहादुर पुत्र स्व० रजई निवासी बजही थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 14- रणजीत चौधरी पुत्र राजकुमार निवासी सिरसिया चौबे थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर 15- राजाराम पुत्र रामआसरे निवासी मेंहादवल थाना मेंहादवल 16- अशोक कुमार पुत्र तीरथ निवासी नोढ़री थाना मेंहादवल जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 05-05-05-05-05-05-05-10-05-05-05-05-05-05-05-05 ली० (कुल 85 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु०अ०सं० 318/2020, 319/20, 320/20, 321/20, 322/20, 323/20, 324/20, 325/20, 326/20, 327/20, 329/20, 330/20, 331/20, 332/20, 333/20 व 234/2020 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना मेंहादवल पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- बाबूराम साहनी पुत्र श्यामलाल साहनी निवासी रुईहट्टा 2- हरीराम पाण्डेय पुत्र सीताराम पाण्डेय निवासी मनोरथपुर थाना मेंहादवल जनपद सन्तकबीरनगर को क्रमशः 05-05 ली० (कुल 10 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहादवल पर क्रमशः मु०अ०सं० 240/20 व 241/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

वारण्टी

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नामपता 1- मोती पुत्र सेतू केवट निवासी कुसौना कला 2- रामवृक्ष पुत्र सोमन निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत देवडिह से इवेन्ट संख्या 3798 से कालर नें मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल दोनों व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से प्रा0स्व0 केन्द्र मेंहदावल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुँचकर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रामकुशल सिंह, आ0 धर्मेन्द्र यादव, हो0चा0 महेन्द्र यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 85000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 01-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनो से 85000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।